भारत सरकार Government Of India
रेल मंत्रालय Ministry Of Railways
(रेलवे बोर्ड) Railway Board

******

Office Order No. 04 of 2021

Sub : Delegation of Power for framing/amending the Recruitment Rules-Amendment of Office Order No. 26 of 1982.

Re-organisation of the Railway Board on functional lines was notified vide Office Order No. 64 of 2020, wherein broad distribution of work amongst the Board Members has been indicated. Consequently, since the post of Member Staff is no longer in existence, Office Order No. 26 of 1982 relating to delegation of powers for amending/framing the Recruitment Rules, may be amended as follows:-

> " Henceforth all proposals related to framing/amending of Recruitment Rules for various Gazetted posts/services (including ex-cadre posts and other posts belonging to miscellaneous categories) on Zonal Railways/PUs as also in the Railway Board and the RDSO may be approved by Board (CRB & CEO). In this process, Board (CRB & CEO) may associate an officer at an appropriate level - DG/HR, Secretary/RB, JS(C) or any other officer from the Directorate concerned."

2. This issues with the approval of the competent authority.

No. 2020/O&M/7/19
Dated: 15.01.2021

(B. Majumdar)
Joint Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office and Dayabasti, New Delhi.

Copy for information to :

Chairman & CEO, Railway Board, M/Infra, M/TRS, M/O&BD and MF
Secretary, Railway Board

Copy to :

PSMR & EDPG/MR
Addl.PS/MR

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

*****

2021 का कार्यालय आदेश सं. 04

विषय: भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन - 1982 के कार्यालय आदेश सं. 26 का संशोधन।

रेलवे बोर्ड का कार्यात्मक आधार पर पुनर्गठन को 2020 के कार्यालय आदेश सं. 64 के तहत अधिसूचित किया गया था, जिसमें बोर्ड सदस्यों के बीच कार्यों के विस्तृत वितरण का उल्लेख किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, चूंकि सदस्य कार्मिक का पद अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए, भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित 1982 के कार्यालय आदेश सं.26 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

" अब से क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों और रेलवे बोर्ड तथा आरडीएसओ में विभिन्न राजपत्रित पदों/सेवाओं (संवर्ग बाहय पद और विविध कोटियों से संबंधित अन्य पदों सहित) के लिए भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने से संबंधित सभी प्रस्ताव बोर्ड (सीआरबी एवं सीईओ) द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में बोर्ड (सीआरबी एवं सीईओ) उपयुक्त स्तर पर किसी अधिकारी - महानिदेशक/मानव संसाधन, सचिव/रेलवे बोर्ड, संयुक्त सचिव (गो.) अथवा संबंधित निदेशालय के किसी अन्य अधिकारी को सम्मिलित कर सकते हैं।"

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बी. मजुमदार

(बी. मजुमदार)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. 2020/ओ एंड एम/7/19
दिनांक: 15.01.2021

बोर्ड कार्यालय और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएँ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य/इंफ्रा, सदस्य/टीआरएस, सदस्य/ओ एंड बीडी और सदस्य वित्त, सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

निजी सचिव/रेल मंत्री एवं ईडीपीजी/रेल मंत्री
अपर निजी सचिव/रेल मंत्री